उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

बंदोवस्ती केन्सीलेशन केश नं0–02/2024–25

सरकार

बनाम्

मतला उर्फ मनोज बास्की

—: आदेश :—

दिनांक 14/6/24

अभिलेख का अवलोकन किया।

अपर समाहर्त्ता, गोड्डा के पत्रांकः–121/रा0, दिनांकः–05.02.2024 से मूल अभिलेख अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है। मामला मौजा खिजुरिया नं0–36 के गैर मजरूआ खाता नं0–53, दाग नं0–799 के अन्तर्गत रकवा 2.95 एकड़ जमीन जो बंदोवस्ती केश नं0–192/70–71 के द्वारा मतला बास्की उर्फ मनोज बास्की, सा0–खिजुरिया के साथ की गयी है, को रद्द करने से संबंधित है।

बंदोवस्ती रद्द करने की प्रक्रिया अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा प्रारम्भ किया गया। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा अपने आदेश फलक में उल्लेख किया है कि मौजा खिजुरिया नं0–36, गैरमजरूआ खाता नं0–53, दाग नं0–799, रकवा–17–18–03 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट खतियान में परती कदीम के रूप में दर्ज है। उक्त रकवा में से रकवा 2.95 एकड़ जमीन बंदोवस्ती केश नं0–192/70–71 के द्वारा मतला बास्की उर्फ मनोज बास्की, सा0–खिजुरिया के साथ बंदोवस्ती की गयी थी। लेकिन वर्तमान में उक्त जमीन परती एवं खाली पड़ा हुआ है। बदोवस्ती रैयत के द्वारा कभी भी इस भूमि का जोत कोड़ नहीं किया गया एवं बंदोवस्ती रैयत के द्वारा एक भी लगान रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा बंदोवस्ती रद्द करने हेतु अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को भेजा गया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा बंदोवस्तीदार रैयत को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षी से कारण–पृच्छा प्राप्त होने के उपरांत अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा का निष्कर्ष है कि :–

1. मौजा–खिजुरिया नं0–36 के गैर मजरूआ खाता सं0–53, दाग नं0–799, रकवा–17–18–03 धूर भूमि, किस्म–परती कदीम के रूप में गत सर्वे खतियान में अंकित है।
2. वर्तमान में यह भूमि परती एवं खाती है। बंदोबस्तदार द्वारा उक्त भूमि पर कभी भी दखल कब्जा कर जोत–कोड़ नहीं किया गया।

3. बंदोबस्तदार रैयत का नाम बंदोवस्त भूमि पंजी–2 में खाता कायम नहीं है।
4. बंदोबस्तदार रैयत/बंशज के द्वारा बंदोबस्त भूमि का बंदोबस्ती वाद सं0–192/70–71 की छाया प्रति प्रस्तुत कर दावा किया गया, किन्तु एक भी लगान रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. बंदोबस्तदार रैयत भूमिहीन नहीं है। इन्हें उक्त मौजा में रकवा–17–08–03 धूर पैतृक भूमि है।
6. दिनांकः–11.12.2023 को ग्राम सभा मे उपस्थित सभी रैयतों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त संदिग्ध बंदोबस्ती को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा मौजा खिजुरिया नं0–36 के गैरमजरूआ खाता नं0–53, दाग नं0–799 के अंदर रकवा 2.95 एकड़ जमीन की बंदोवस्ती को रद्ध करने के लिए अनुशंसा किया है। यह स्पष्ट है कि उक्त जमीन की बंदोवस्ती मतला बास्की उर्फ मनोज बास्की, सा0–खिजुरिया के साथ की गयी है। लेकिन लम्बी अवधि के बाद भी विपक्षी मतला बास्की उर्फ मनोज बास्की के द्वारा जोत आबाद नहीं किया गया है एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा कारण–पृच्छा हेतु नोटिश देने के उपरान्त भी विपक्षी के द्वारा उक्त बंदोवस्ती जमीन का लगान रसीद भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत्त बंदोवस्ती के तिथि से 5 वर्ष के अंदर बंदोवस्ती जमीन का जोत कोड़ करना आवश्यक है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 में दिये गये प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत्त मौजा खिजुरिया नं0–33, गैरमजरूआ खाता नं0–53, दाग नं0–799 के अंदर रकवा–2.95 एकड़ जमीन जो बंदोवस्ती केश नं0–192/70–71 के द्वारा विपक्षी के साथ की गयी है, को रद्ध किया जाता है। इसकी सूचना अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा को भेंजे।

लिखामा एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.08.12 12:35:21 +05:30
Location: 192.168.1.54